न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,एन.डी.
पी.एस.एक्ट कोर्ट नं0–7,लखनऊ
पीठासीन अधिकारीः पुष्कर उपाध्याय, एच0जे0एस0,

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं0: 6753/2022 अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं.
CNR No UP LKo-1011514-2022

मंगलू गौतम पुत्र द्वारिका, निवासी–116, रिंग रोड अजनार पली, दुबग्गा, थाना–दुबग्गा, लखनऊ .....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0 प्र0 राज्य ..... अभियोगर

मु0अ0सं0: 52/2022
धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट
थाना–दुबग्गा, जनपद, लखनऊ

दिनांकः 10–08–2022

1. प्रार्थी/अभियुक्त **मंगलू गौतम** द्वारा मु0अ0सं0: 52/2022 अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना–दुबग्गा, लखनऊ के मामले मे प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. मय शपथपत्र श्रीमती फूलमती प्रस्तुत किया गया है।
2. अभियोजन कथानक के अनुसार, दिनांक 07–06–2022 को बहद स्थान–जागर्स पार्क चौराहा, काशीराम कालोनी के पास थाना दुबग्गा, जिला लखनऊ में उप निरीक्षक श्री राकेश कुमार व उनकी हमराही पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मंगलू गौतम को पकड़ा गया, तो उसके कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ, जिसे रखने का अभियुक्त के पास कोई लाईसेंस नहीं था।
3. प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा अपने जमानत प्रार्थना–पत्र में यह आधार लिया गया है कि पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 50 का अनुपालन नहीं किया गया है तथा अभियुक्त पर लगाया गया आरोप निराधार है। फर्द बरामदगी में जनता का कोई गवाह नहीं है न ही अभियुक्त के पास से कोई नाजायत वस्तु बरामद हुई है। थाने की पुलिस द्वारा गुडवर्क दिखाने के उद्देश्य से प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त अपराध में फर्जी फंसा दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त अत्यंत गरीब तथा 65 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जो कि स्वांस का मरीज है तथा अक्सर बीमार रहता है। अभियुक्त दिनांक 07–06–2022 से जिला कारागार में निरूद्व है तथा वह जमानत देने को तैयार है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई।
4. अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र का घोर प्रतिवाद करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 07–06–2022 को थाने की पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के आज्ञापक एवं निदेशात्मक प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन किया गया है। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व थाना–काकोरी,लखनऊ में मु.अ.सं.–122/2019 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट लंबित है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः उक्त अपराध में संलिप्त हो जायेगा। अतः अभियुक्त के जमानत प्रार्थना–पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।
5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

...2..

6. पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद होने का अभियोग है, जो कि वाणिज्यिक श्रेणी में नहीं आता है। अभियुक्त की कथित गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्व कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अभियुक्त को किसी मामले में दोष सिद्व किया गया हो। अभियुक्त उक्त अपराध में दिनांक 07–06–2022 से जिला कारागार में निरूद्व है। अभियुक्त साधारण सामाजिक परिवेश का गरीब वृद्व व्यक्ति है जो कि स्वांस का मरीज है। प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में मामले के गुण दोष पर विचार व्यक्त किये बिना न्यायालय के विचार में कतिपय शर्तो के अधीन अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार, प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना **स्वीकार** किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **मंगलू गौतम** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0: 52/2022 अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना–दुबग्गा, लखनऊ **स्वीकार** किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त **मंगलू गौतम** के द्वारा मुब्लिग–**50 हजार रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की **दो** प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जायेः–

1– प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना में विवेचक को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान प्रत्येक तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के जरिये उपस्थित रहेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त आरोप विरचित होने के दौरान व बयान अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0सं0 अंकन कराये जाने के समय वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

4– प्रार्थी/अभियुक्त पुनः इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा और न ही वह किसी अन्य अपराध में शामिल होगा।

5– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मामले के साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा और न ही साक्ष्य में कोई छेड़छाड़ करेगा।

पुष्कर उपाध्याय,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर–7/
विशेष न्यायाधीश,एन0डी0पी0एस0एक्ट, लखनऊ
जी0ओ0 कोड नम्बर–6086

तमीज मुहम्मद
(आशुलिपिक ग्रेड–1)